



पत्रांक-परि०आ०-406 / 2007

129

राँची / दिनांक-...10-02-2021

प्रेषित,

श्री श्यामानन्द कुण्डु,  
5, पलमेर बाजार रोड,  
कोलकाता।

विषय:- मार्ग-बोकारो से कोलकाता पर प० बंगाल परिवहन प्राधिकार द्वारा आपके पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-P.St.P-07/05 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प० बंगाल परिवहन प्राधिकार द्वारा आपके वाहन सं०-WB-29A-2599, Model-2010 के पक्ष में स्थायी परमिट सं०-P.St.P-07/05 निर्गत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक-23.01.2020 को समाप्त हो चुकी है।

विदित हो कि, विषयगत परमिट से आवृत्त वाहन सं०-WB-29A-2599 को उच्चतर मॉडल से प्रतिस्थापन किये जाने के निमित्त आपके द्वारा Online आवेदन समर्पित की गयी थी। प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न वर्तमान वाहन एवं प्रतिस्थापन वाहन से संबंधित वांछित अभिलेख अद्यतन नहीं रहने के फलस्वरूप वाहन प्रतिस्थापन की कार्रवाई सम्प्रति विभागान्तर्गत लंबित है। साथ ही, उल्लेखनीय है कि विषयगत परमिट दिनांक-23.01.2020 को कालबाधित हो चुकी है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि परमिट नवीकरण कराते हुए वर्तमान आवृत्त वाहन एवं प्रतिस्थापन वाहन से संबंधित वांछित सभी अद्यतन अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

संयुक्त परिवहन आयुक्त  
झारखण्ड, राँची।